Construction Flats under the 1985 Scheme of Delhi Development Authority

3209. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the latest position regarding construction of MIG and LIG flats registered with DDA under the 1985 scheme for retired or retiring Central Government employees;

(b) what are the names of places where the said flats are being constructed; and

(c) by when the allotment is likely to commence and whether all of the registrants would be covered during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) No separate flats are being constructed for retired or retiring Government employees. Such employees are allotted flats out of those being constructed by DDA under various housing schemes. The flats constructed during 1987-88 in MIG and LIG categories were 1304 and 1666 respectively. These flats are located at Pitampura, Nand Nagri, Rohini, Paschimpuri, Janakpuri, Bodella, Motia Khan and Ashok Vihar.

(c) All the registrants of RPS-1985 scheme are likely to be allotted flats during the current year in March, 1988 and December, 1988.

एल०पी०जी० वितरकों के पास कार्यरत कर्मचारियों और कर्मकारों के लिए सुविधाएं

3210. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि घरेलू गैस के वि[illegible] पांच वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत डिलीवरी मैनों तथा अन्य कर्मकारों को वेतनवृद्धि, छुट्टी का लाभ, चिकित्सा, आवास और जी० पी० एफ० जैसी कोई सुविधा नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों के लाभार्थ कोई सुविधाये प्रदान करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) एल०पी०जी० डीलरों के कर्मकारों के कार्य के घंटों, विश्राम का अवकाश और भोजन, सामान्य दर से दुगना समयोपरि भत्ता, समय विस्तार, छुट्टी का दिन, साप्ताहिक अवकाश, मजदूरी सहित छुट्टी आदि के संबंधित कार्य दशाएं दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं । तथापि वेतनवृद्धि चिकित्सीय इलाज, आवास आदि से संबंधित विषय जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि उनके बारे में यह कर्मकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अन्तर्गत विवाद उठा सकते हैं जिनका समझौता कराया और निपटाया जाता है जिनके असफल रहने पर उन्हें न्याय-निर्णयन के लिए भेजा जाता है ।

Allotment of alternate Flats to Registrants of Self-financing Scheme, Basant Kunj

3211. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some persons registered under the Self Financing Scheme for Basant Kunj, New Delhi, were informed in February, 1987 that alternate flats would be given to them in pockets B and C in Sector A Kishangarh, in lieu of previous allocation in Sector-C;

(b) whether it is also a fact that a number of them have already been